

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION NO. 77 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 352 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Mohd. Saleem & Ors.

....Applicant

Versus

Central Pollution Control Board & Ors.

...Respondents

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN PURSUANCE TO
THE ORDER DATED 18.11.2025 PASSED BY THIS HON'BLE
TRIBUNAL.**


I, Vimal Kumar aged about 58 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board at Bulandshahar do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.
2. That in compliance to the directions of Hon'ble Tribunal issued vide order dated 21.07.2025 in OA No. 352/2025 Mohd. Saleem Vs Central Pollution Control Board and Ors., UPPCB issued letter dated 18.11.2025 regarding representation dated 27.05.2025 and 06.06.2025 of Mohammad Saleem S/o Shri Haji Abdul Saleem (Meat Shop Owner) ward no. 31 Apar Kote, Post/Thana-Bulandshahar Nagar, Kotwali Ward No. 30 Sarai Kaji, Nagar Palika Parishad Bulandshahar Khadya Suraksha Zone-2 Bulandshahar. A



true Copy of letter dated 18.11.2025 is annexed herewith as **Annexure No.1**

3. That officials of Regional Office Bulandshahar has also delivered the above letter dated 18.11.2025 of UPPCB to Mr. Saleem and Mr. Sageer Ahmad Quraishi. A true Copy of reciveing is annexed herewith as **Annexure No.2**



That UPPCB vide its letter dated 18.11.2025 has communicated the concerning meat shop owner that UPPCB is performing its duties under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 and Environment (Protection) Act 1986. The above acts does not have the provisions for the buying and selling of raw material to slaughter houses.


5. That UPPCB has disposed the representation dated 27.05.2025 and 06.06.2025 of the petitioner and has complied with the direction of the Hon'ble Tribunal issued vide order dated 21.07.2025 in OA No. 352/2025.

The above action taken report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Bulandshahar on this ..5..... day of February, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.




DEPONENT

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

TWENTY RUPEES


रु. 20

NOTARIAL

Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030

NOTARIAL

GOVT. OF INDIA



NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

47AA 062659

मनापेक्षा करतुं मंत्र मः
 अशोक कुमार शंभु प्रसाद वर्तमान
 ने जिसकी पहचान को प्रमाणित पोलिसिंग चहो गलेस
 आज दिनांक 24-5-2020 को प्रमाणित
 प्रातः साथ मेरे सामुखी इस लेख पत्र के
 उक्त लेख को समझकर समझकर सत्य होना
 स्वीकार किया। शुल्क 35

अशोक कुमार 2020
 एडवोकेट/नोटरी (पब्लिक)
 बुलन्दशहर (उप्र)

NOTARY

Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030

GOVT. OF INDIA

4/2/98

31/1/98

१

विद्या ऽ शिव प्रसाद

नन्द किशोर शर्मा

ला० न० 198/201/90

2/2/98 S.V. कलेक्ट्रेट काशीराम, बुधहर

रत्न

रत्न



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



LIFE
Lifestyle for
Environment

Annexure-1

पत्रांक H34837 / सी-4 / एन0जी0टी0-249 / 2025

दिनांक 18-11-25

सेवा में,

मो0 सलीम पुत्र श्री हाजी अब्दुल सलीम,
(मीट शाप आनर),
वार्ड नं0-31 अपर कोटे,
पोस्ट/थाना-बुलान्दशहर नगर, कोतवाली वार्ड सं0-30,
सराय काजी, नगर पालिका परिषद, बुलान्दशहर,
खाद्य सुरक्षा जोन-2, बुलान्दशहर 203001

मा0 न्यायालय प्रकरण
आवश्यक/ महत्वपूर्ण
ई-मेल

विषय : मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-352 / 2025 मो0 सलीम एण्ड अदर्स बनाम
के0प्र0नि0बो0 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-352 / 2025 मो0 सलीम एण्ड अदर्स बनाम के0प्र0नि0बो0 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। मा0 एन0जी0टी0 पारित उक्त आदेश दिनांक 21.07.2025 के अनुक्रम में आपके प्रत्यावेदन दिनांक 27.05.2025 एवं दिनांक 06.06.2025 के कम में आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, यथासंशोधित तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। उक्त पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्प्रावह जनित कराये जाने, उत्पादन प्रक्रिया तय किये जाने तथा पशुवधशालाओं द्वारा कच्चे माल को क्रय-विक्रय किये जाने के संबंध में निर्देशित किया जाना अथवा बाध्य किया जाना प्राविधानित नहीं है।

भवदीय
Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 18-11-2025

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलान्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



टी.सी.-12वी., विगति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.in
वेबसाइट-www.uppcb.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.in
Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक : 134837 / सी-4 / एन0जी0टी0-249 / 2025

रजि0

दिनांक : 18-11-25

सेवा में,

मो0 सलीम पुत्र श्री हाजी अब्दुल सलीम,
(मीट शाप आनर),
वार्ड नं0-31 अपर कोटे,
पोस्ट/थाना-बुलन्दशहर नगर, कोतवाली वार्ड सं0-30,
सराय काजी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर,
खाद्य सुरक्षा जोन-2, बुलन्दशहर 203001

मा0 न्यायालय प्रकरण
आवश्यक/महत्वपूर्ण
ई-मेल

विषय : मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-352 / 2025 मो0 सलीम एण्ड अदर्स बनाम के0प्र0नि0बो0 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-352 / 2025 मो0 सलीम एण्ड अदर्स बनाम के0प्र0नि0बो0 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। मा0 एन0जी0टी0 पारित उक्त आदेश दिनांक 21.07.2025 के अनुक्रम में आपके प्रत्यावेदन दिनांक 27.05.2025 एवं दिनांक 06.06.2025 के कम में आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, यथासंशोधित तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। उक्त पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पन्न जनिता करायें जाने, उत्पादन प्रक्रिया तय किये जाने तथा पशुवधशालाओं द्वारा कच्चे माल को कय-विकय किये जाने के संबंध में निर्देशित किया जाना अथवा बाध्य किया जाना प्राविधानित नहीं हैं।



सलीम प्रपन काया
सलीम प्रपन काया

भुवदीय
Digitally signed by
RAM GOPAL

Date: 18-11-2025

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

left hand

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

plc



री3ी-12वी, विगिति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-220010
ई-मेल-Info@uppcb.in
वेबसाइट-www.uppcb.in

T.C.-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: Info@uppcb.in
Web Site: www.uppcb.in